कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक– 3545 /12–1, दिनांकः मसूरी, 04 अप्रैल, 2018।.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2,
नई टिहरी।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड़ जौनपुर में मरोड़ा–बनाली–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 03 से कुण्ड़ तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–8.125 किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/21822/2016, एंव आपकी पत्र सं0 286/ पी0–सिं0 ख0– 2/ दिनांक 21–03–2018

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की पॉचः स्कैन प्रति दि0 22–03–2018 को इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। तद्परान्त वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव आनलाईन दि0 25–03–2018 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया। आनलाईन प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से पुनः जॉच /परीक्षण में कतिपय निम्न कमियां पायी गयी, जिनके निराकरण हेतु आनलाईन प्रस्ताव एंव प्रस्ताव की (चार) हार्ड /स्कैन प्रतियां इस आशय से वापस की जा रही हैं कि प्रभाग स्तर से इंगित आपत्तियों /कमियों का निराकरण करते हुए आनलाईन प्रस्ताव एंव विषयांकित प्रस्ताव की हार्ड प्रति (मूल में) इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र सं0 169/12–1, दिनांक 18–07–2016 में इंगित कतिपय कमियों का निराकरण किये बिना आपके द्वारा प्रस्ताव पुनः आनलाईन किया गया।

1. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के B-2.3- Village wise breakup में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वांछित 5.1415 है0 वन भूमि एंव Non forest land को ग्रामवार अंकित/दर्ज किया जाय। प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से कुल वांछित 5.1415 है0 वन भूमि एंव Non forest land को एकमुश्त अंकित/दर्ज किया गया है।
2. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के C-(iii) & (iv) में अपलोड प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु डिजीटल मानचित्र एंव जियो रिफरेन्स मानचित प्रस्ताव में वैकल्पिक समरेखण को प्रदर्शित नहीं हयिा गया है। जैसा कि प्रस्ताव में चस्पा संलग्नक–6 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने प्रतिवेदन में समरेखण न0–2 एंव संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट के पैरा 3 में उल्लेख हकिया गया है। कृपया वांछित मानचित्रों में वैकल्पिक समरेखण को प्रदर्शित किया जाय, तथा तत्संबंधी परिपूर्ण हस्ताक्षरयुक्त मानचित्र को आनलाईन भाग–1 में यथास्थान अपलोड करते हुए उनकी हार्ड प्रति मूल में प्रस्ताव में चस्पा की जाय।
3. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के K-(a) में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्रों के साथ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मात्र ग्राम पंचायत कुण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आनलाईन अपलोड एंव प्रस्ताव में चस्पा किया गया है। जबकि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में ग्राम–मठियाणगांव, बनालीगांव एंव हटवालगांव की सिविल सोयम भूमि भी प्रभावित हो रही है। कृपया ग्राम–मठियाणगांव, बनालीगांव एंव हटवालगांव के ग्राम पंचायत /पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र को आनलाईन भाग–1 में यथास्थान अपलोड करते हुए उनकी हार्ड प्रति मूल में प्रस्ताव में चस्पा की जाय।
4. आनलाईन प्रस्ताव में भाग–1 के L(h) Copy of non encumberence certificate for forest land के स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है। जबकि उक्त स्थान पर Copy of non encumberence certificate for forest land सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाय।

संलग्नक–उक्तानुसार। (प्रस्ताव की चार स्कैन प्रति)

भवदीया

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

3545

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्त विषयक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी